अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग हैं और काफी संख्याम में सीमान्त तथा लघु कृषक तथा अन्य भूमिहीन खेतिहार मजदूरों की संख्या है। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिस से उस जनपद में स्थापित होने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों में यहां के लोगों को अनिवार्य रूप से लगाया जाय। आवश्यकता हो तो यहां पर टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट (आई टी आई, पालिटेक्नीक) खोल कर यहां नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाय और कल कारखानों में लगाया जाय अन्यथा स्थानीय लोगों में असन्तोष व क्षोभ बढ़ रहा है और कुछ लोग इस का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय लोग संतुष्ट हों और उन को भी लगने वाले संस्थानों में लाभ पहुंचे।

(ii) SUPPLY OF CEMENT TO UTTAR PRADESH

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सीमेण्ट का गम्भीर रूप से अभाव पैदा हो गया है। उसके अभाव के कारण प्रदेश में निर्माण का कार्य प्रायः ठप्प हो गया है। लोगों को मरम्मत के लिए 2-4 बोरी सीमेण्ट भी नहीं मिल पा रही है। नये भवन के निर्माण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे स्कूल, मन्दिर, मस्जिद आदि भी नहीं बन पा रहे हैं। पहले इन कार्यों के लिए सरकार आर० सी० सी० कोटे के अन्तर्गत परमिट दे दिया करती थी। लेकिन अब ऐसे परमिट भी दिए जाने में उ० प्र० की सरकार असमर्थता व्यक्त करती है।

सीमेण्ट के अभाव का सबसे बड़ा शिकार सरकार की विभिन्न बिजली, सिंचाई तथा दूसरी योजनायें हैं। सरकारी गोदाम, अस्पताल, जच्चा-बच्चा केन्द्र आदि सुविधायें जो विश्व संगठन की सहायता से उपलब्ध कराई गई हैं, उनका भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।

ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीमेण्ट दिए जाने की व्यवस्था करे और साथ ही साथ ऐसा प्रबन्ध करे कि आर० सी० सी० कोटे के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को कम से कम सार्वजनिक कार्यों के लिए सीमेण्ट का परमिट दिया जा सके।

(iii) CONVERSION OF KING GEORGE MEDICAL COLLEGE OF LUCKNOW INTO AN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES.

श्री राम लाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, भारत गणराज्य के विशालतम जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी एवं ऐतिहासिक नगरी लखनऊ में सन् 1972 ई० में पुनर्वास एवं कृति अंग केन्द्र का शिलान्यास करते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि राजधानी में एक आयुर्विज्ञान संस्थान बनाया जाये जिससे भयंकर बिमारियों से पीड़ित प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर न जाना पड़े। परिणामस्वरूप उसी अवधि में इस पुनीत कार्य के लिए एक समिति गठित की गई, उस समिति ने सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ को आयुर्विज्ञान संस्थान में परिवर्तित कर दिए जाने की राय व्यक्त की। इसका मुख्य कारण आयुर्विज्ञान संस्थान योजना के लिए भू-सम्पत्ति आदि पर व्यय होने वाले धन और भूमि अधिग्रहण आदि की समस्याओं की उलझन से बचाना था।

समिति की राय के अनुसार ही सन् 1976 में डा० बी० एन० सिन्हा की रिपोर्ट के आधार पर आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 60 लाख रुपये की टोकेन ग्रान्ट स्वीकृत